

शीर्षक वकील जयश्री एव जयश्री स्वयं अनुपस्थित। प्रकरण का  
अवलोकन करने पर पाया कि सभ्यजिन की दालकी हेतु वर्ष  
2014 से अरायगी लालबान नोटिस समय लेते आ रहे हैं।  
वकील जयश्री एव जयश्री को इपलस उठेन तक बार बार  
दालीन लजवाइ गई परन्तु उनको जारे में कोई अदालत  
उपस्थित नहीं आया अतः प्रकरण ऊपर अरायगी लालबान नोटिस  
अवधि परकी अदालत में खारिज किया जात है। मिसल  
फैमिल अग्रार एकर नम्बर है कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

